समाचार एवं विचार सेवा वार्षिक सहयोग राशि 25/–
महाकौशल–संदेश
वर्षः– 17 पृष्ठः– 4 अंक :– 36 संपादक :– डॉ. किशन कछवाहा
RNI No. MPHIN/2001/11140
यह सामग्री 'प्रकाशनार्थ' प्रेषित है। कृपया अपने लोकप्रिय पत्र–पत्रिका में प्रकाशित कर Complimentaryकापी प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।

6 दिसम्बर पुण्यतिथि पर विशेष लेख

सामाजिक क्रांति के अग्रदूत डॉ. अम्बेडकर

— डॉ. किशन कछवाहा

संतन के मन होत है, सब के हित की बात ''। डॉ. अम्बेडकर ऐसे ही महापुरूष थे जिन का मानना था कि समाज जीवन सुचारू ढ़ंग से चलाना है, तो समाज रचना समरसता व न्याय के तत्व पर खड़ी करनी चाहिये। समाज के किसी भी घटक के मन में ऐसी भावना उठने का अवसर नही दिया जाना चाहिये, जब वह सोचे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। इस प्रकार के समाज निर्माण के अत्यंत कठिन एवं जटिल मार्ग पर वे चले। सारे समाज की उन्नति के लिये उनका संधर्ष था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि केवल अस्पृश्यता का अंत हो जाने से केवल अस्पृश्यों का ही नही वरन् सारे समाज का कल्याण हो जायेगा। सत्याग्रह करते समय, लेख लिखते समय और भाषण देते समय उन्होंने हर समय इसी भूमिका को प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान के निर्माता, समरसता के अग्रदूत, महामानव बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रेल 1891 को मध्यप्रदेश के महू में पिता श्री रामजी सकपाल एवं माता भीमा बाई के घर हुआ था। ये धर्म प्रेमी थे। उस समय महार जाति को अस्पृश्य माना जाता था। इस कारण इस परिवार के बालक भीम को कदम–कदम पर समाज में विद्यालय में सभी जगह भेदभाव और असमानता का अपमान सहन करना पड़ा था। गरीबी और अभाव भी उनके मार्ग के अवरोध बने लेकिन तमाम अवरोधों को पार करते हुये उन्होंने न केवल उच्च शिक्षा पूरी की वरन् अध्यापकीय कार्य–करते करते सन् 1923 में लंदन से बेरिस्टर की उपाधि लेकर भारत लौटे। सन् 24 में बाबा साहब ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिये, निर्धन एवं निर्बलों के उत्थान की गति को आगे बढ़ाने के लिये' वहिष्कृत हितकारिणी सभा' का गठन किया। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। 'मूकनायक'नामक पाक्षिक

पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। उनका व्यकित्व विशाल था और अध्ययन का क्षेत्र भी विस्तृत था। डॉ.अम्बेडकर पहले भारतीय थे जिन्हें किसी विदेशी विश्व विद्यालय से अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त हुयी थी। कोलम्बिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही अर्थशास्त्र पर एक लघु शोध निबन्ध ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रशासन और वित्त प्रबन्ध लिखा था। उनकी एक अन्य पुस्तक 'ब्रिटिश भारत में प्रान्तीय वित्त व्यवस्था का विकास' लिखी थी। उस आधार पर उन्हें अर्थशास्त्री भी माना जाना चाहिये। वे अर्थशास्त्री, विधि विशारद और शिक्षा शास्त्री थे। वायसराय कौंसिल में श्रम मंत्री होते हुये श्रम नीति पर दिये गये उनके भाषण उनकी मौलिक सोच को उद्घाटित करते हैं। वे देश के विधि पंडितों की पंक्ति में तो अग्रणी थे ही। उन्हें संघीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। विद्यमान एंव आसन्न विविध परिस्थितियों के कारण संविधान का अधिकॉश कार्य उन्हें ही करना पड़ा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें प्रथम विधि मंत्री बनाया गया था। उनके मन में यह बात सदा कचोटती रहती थी कि इतने सामाजिक उत्थान के कार्यो, तमाम प्रयासों, के सत्याग्रहो के बावजूद वे छुआछुत को हिन्दू समाज से समाप्त नही कर पाये। अंततः उन्होंने अपने मित्र तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ट प्रचारक श्री दन्तोपंत ठेगड़ी से कहा–मैं अपने जीवन के संध्या काल तक पहुॅच गया हूॅ। मुझपर यह बहुत बड़ा दायित्व है कि मै अपने जीवन काल में ही अपने लोगों को सही दिशा दे जाऊॅ, जिससे मेरे बाद वे कही गलत दिशा में न चले जावें। डॉ. अम्बेडकर ने यह सिद्ध करने के लिये पूरी पुस्तक ही लिख डाली कि शूद्र वास्तव में क्षत्रिय थे और अस्पृश्य लोग भी इसी भारतीय समाज के अंग थे। इस तरह आर्यो के विदेशी होने, भारत पर आक्रमण करने या भारतीय लोगों को अछूत बनाने वाली बातें झूठी हैं। डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दूधर्म छोड़ने के बाद किसी दूसरे धर्म में जाने की बात सोची थी, तो उन्होंने इस्लाम को इस लिये अस्वीकार किया था, क्यों कि उनके अनुसार इस्लाम एक'' विदेशी धर्म '' है और इस प्रकार मुस्लिम होने का अर्थ, धर्म का परिवर्तन ही नही बल्कि देश का परिवर्तन भी है। डॉ. अम्बेडकर ने यह बात बार–बार और बिना लाग लपेट के पूरी स्पष्टता के साथ कही है। डॉ. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म इसलिये चुना, क्योकि वे बौद्ध धर्म को एक' भारतीय धर्म मानते थे। 6 दिसम्बर 1956 को उन्होंने अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया। शिक्षा के विस्तार तथा हिन्दुत्व के जागरण के कारण छुआछुत जैसी व्यवस्था अब समाप्त प्राय है। यह अब डॉ. अम्बेडकर जैसे महापुरूषों के परिश्रम और प्रयासों का ही दूरगामी सुपरिणाम है। डॉ. अम्बेडकर ने सन् 1948 में ही एक सार्वजानिक वक्तव देकर पाकिस्तान के हरिजनों से कहा था कि वे धर्म परिवर्तन न करें और भारत आजायें। उन्होंने उसी वक्तव्य में यह भी कहा था कि यदि हरिजन भाईयो को वहॉ जबर्दस्ती मुसलमान बना लिया गया है, तो वे उन हरिजन भाईयों को उनके पुराने धर्म में वापिस करायेंगे। आधुनिक काल में डॉ. केशवराव हेडगेवार, बुद्ध, विवेकानन्द और बाबा साहब अम्बेडकर को व्यवहार और आचरण में उतार लायें क्योकि

शेष पृष्ठ क्रमांक 4 पर

सियासी लालच में उलझे हैं बूढ़े फारूक

राष्ट्र विरोधी ताकतें हमेशा राष्ट्रभक्तों के मार्ग में तरह – तरह की बाधायें खड़ी करती रही हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उन्हे सफलता नही मिल सकी है। इसी प्रकार की कारगुजारियों के चलते कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला परिवार की राष्ट्रघाती बदजुबानी कोई नयी बात नही है। उससे अब तक सभी भली भॉति परिचित हो चुके हैं। पाकिस्तान द्वारा सन् 47 में हमलाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिये गये कश्मीर के उस हिस्से के बारे में फारूख अब्दुल्ला द्वारा दिये गये बयान भी उसी श्रेणी के है जिनसे राष्ट्र द्रोह की बू आती है। कोई ये समझे कि उन बयानों का लक्ष्य मात्र कश्मीर के स्वायत्तता के मुद्दे को उछालना मात्र है, यह ठीक नही है। वैसे भी जम्मू–कश्मीर की स्वायत्तता का उद्देश्य रहा है, भारतीय संविधान के प्रभाव से कश्मीर के मुसलमानों को मुक्त रखना। क्योंकि ऐसी मॉग कभी जम्मू या लद्दाख से नही उठायी गयी। यह हमेशा मुस्लिम बहुल कश्मीर से ही उठायी जाती रही है। इस लिये जिस क्षेत्र को अब तक ऐसे तत्वों के प्रोत्साहन फलस्वरूप हिन्दू विहीन बना दिया गया है इसलिये भी उस कुत्सित मंशा ओर उसके निहितार्थ को सहज ही समझा जा सकता है। फारूख का बयान जहॉ एक और अलगाववाद को बढ़ावा देता है, वही उनकी सियासी चाल की शातिर मनोवृत्ति का परिचायक भी है जिससे उनके मन में गहरे से बैठी पाकिस्तान परस्ती भी जाहिर होती है। क्योंकि कश्मीर के उस हिस्से के बारे में भारतीय संसद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित है। और भारत उसे पुनः प्राप्त करने के लिये कृत संकल्पित भी है। फारूख सा. सांसद भी हैं, केन्द्र में मंत्री भी रहे है, उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भी ली है। फारूख अब्दुल्ला का बयान सन् 75 में उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गॉधी के बीच हुये समझौते के भी खिलाफ है। जिस तरह से उनके द्वारा पाकिस्तानी राग अलापा गया है, वह दुर्भाग्य पूर्ण है। इस संदर्भ में इस ओर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है यह बयान ऐसे समय दिया गया है, जब पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के उस हिस्से के लोग पाकिस्तान की ज्यादितियों, अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन और आन्दोलन कर रहे हैं। फारूख जैसे कश्मीरी नेता जब जब सत्ता में नही रहते तब तब पूर्ण स्वतंत्रता की बातें करते हैं। क्या वे अपना अतीत भूल चुके हैं? राजा हरिसिंह ने भी आजादी चुनी थी, लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। भारत से सहायता मॉगी गयी थी और कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। उस दिन से आज तक कश्मीर में पाकिस्तान ने आतंकवाद और अलगाववादियों के माध्यम से अस्थिरता फैलाने का ही काम किया है। इन सबके बावजूद फारूख सा. की पाक–परस्ती प्रश्न चिंह तो खड़ा करती ही है। एक बार जम्मू–कश्मीर विधानसभा में स्वायत्तता प्रस्ताव पेश करते हुये इन्ही जनाब फारूख अब्दुल्ला (तत्कालीन मुख्यमंत्री) ने कहा था कि,'' मै भारत का प्रधान मंत्री तो बन नही सकता पर यदि कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हुआ होता तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अवश्य बन सकता था। अब के बयान और उस समय विधानसभा में दिये गये बयानों से उनकी हताशा और निराशा की हकीकत को समझा जा सकता है। यद्यापि फारूख सा. इस सियासी बयान बाजी के कारण बुरी तरह उलझ गये हैं। कॉग्रेस और भाजपा द्वारा तो कटु आलोचना की ही जा रही है। उधर उनके बयान को लेकर अलगाव वादियों ने भी हमले तेज कर दिये हैं। सन् 53 में फारूख अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने संविधान से बाहर जाकर इस प्रदेश को स्वतंत्र इकाई बनाने की महत्वाकॉक्षा का जाल रचा था। तब उन्हें अपदस्थ कर गिरफ्तार कर लिया गया था। हमारे देश की सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि तथा कथित सेकुलर कही जाने वाली यह पूरी की पूरी जमात विदेशी एवं देशद्रोही गिरोहों की पक्षधर बनी हुयी है। आज देश मे पैदा हुये अशान्त वातावरण का कारण भी इनका यही दोहरा चरित्र है। इसलिये अब जरूरी हो गया है कि ऐसे अवसरवादी लोगों को समय रहते देश की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाय। बॉग्लादेश और पाकिस्तान के संदर्भ को ध्यान में रखने पर यह संशय शेष नही रह जाता कि एक देश के तौर पर भारत का अस्तित्व तब तक कायम है, जब तक यहॉ हिन्दू बहुलता बनी रहेगी।

खतरनाक स्तर तक पहुॅच चुका है प्रदूषण

कहा तो यही जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। हाल ही के एक शोध में तनाव से भरे शहरों के बारे दिलचस्प बाते बतलायी गयी है। उनमें भारत की राजधानी के बारे में कहा गया है कि यह शहर दुनियाभर के तनावयुक्त शहरों में सबसे टाप पर है। शोध में यह भी खुलासा किया गया है कि भारत के चारों मेट्रो शहरों में रहने वाले लोग सबसे अधिक तनावपूर्ण जीवन जी रहे है। धुंध में लिपटी दिल्ली का मौसम किसी को रास नही आ रहा है। लोग परेशान हैं। प्रदूषण एक बड़ी जटिल समस्या है। इसे मानने तो सब तैयार है, लेकिन इस समस्या से जूझने के लिये किसी प्रकार का त्याग करने के लिये वे तैयार नही होते। देश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण अपने निर्धारित मानकों से बहुत ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O) के अनुसार दिल्ली का वातावरण अत्यन्त जहरीला (नुकसान दायक) हो गया है। इसकी गिनती अब विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहर के रूप में की जाने लगी है। इस स्थिति में लोग सॉस लेने को मजबूर है। यह स्थिति क्रमशः देश के अन्य शहरों में भी बढ़ती जा रही है। प्राथमिक स्तर पर हम अपनी असफलता का ऑकलन इस दिशा में कुछ यों ही कर सकते है कि कानून बना दिये जाने के बावजूद सार्वजनिक स्थलों पर हो रहे धुम्रपान पर भी हम सख्ती से रोक नही लगा सके है, न ही जागरूकता अभियान चला सके है। प्रदूषण को लेकर हालात जीवन–मरण के बनते जा रहे हैं। हमारी दृष्टि शहरो को स्मार्ट सिटी' देने की तो है लेकिन यह भी उतना ही सच है कि शहर स्मार्ट तभी होगा, जब उसे प्रदूषण मुक्त बनाये जाने की प्रक्रिया सतत चलायी जाती रहे। गॉव के मुकाबले शहरों में निवास करने वालों की कठिनाईयॉ ज्यादा बढ़ी है। सड़कों पर चलना कठिन होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोपों की जंग से कोई हल निकलना संभव नही है। इस सम्बंध मे नीतियॉ बनाते समय स्थानीय स्तर पर जनता को भी शामिल किया जाना एक कदम सही साबित हो सकता है। एक–एक व्यक्ति को जागरूक बनाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अन्यथा इस दम घोंटू माहौल से निजात पाना और भी मुश्किल हो जायेगा। पुआल के जलाने के कारण उठी धुंध के लिये जहॉ एक ओर किसानों को दोषी ठहराया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वाहनों की तेज रफ्तार के कारण सड़कों से उड़ने वाली घुल, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे जिसे अन्य कचरों के साथ मिलाये जाने के परिणाम स्वरूप जहरीली गैसे निकलती है तथा सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों, जो प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन नही करते, की ओर ध्यान नही जा रहा है।

पद्मावती : इतिहास को न झुठलायें

जो लोग पद्मावती को मात्र कल्पना मान रहे हैं और हिन्दुओं की भावना को कुचल रहे हैं। वे वास्तव में इतिहास को झुठला रहें हैं। ये लोग अलाऊद्दीन की लम्पटता–कामुकता को नजर अंदाज कर उसे प्रेम–पुजारी बता रहे हैं। ताज महल के मामले में भी कुछ ऐसा ही किया गया है, जहॉ शाहजहॉ की कामुकता को नजर अन्दाज कर शाहजहॉ–मुमताज की करूण कथा के रूप में चित्रित कर परी कथा का रूप दे दिया गया है। वामपंथी सोच वाले इतिहास कारों को सत्य से कोई लेना–देना नही था। जहॉ तक फिल्मों का सवाल है–उसका आमजन से सीधा सम्बन्ध ा होता है। इतिहास की धटनाओं, प्रसंगों पात्रो, चरित्रों को लेकर फिल्मे बनाई जायें तो ऐतिहासिक तथ्यों को नजर अन्दाज नही किया जाना चाहिये। उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा । अलाऊद्दीन पद्मावती को पाने के लिये ही चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन आठ वर्षो तक लगातार प्रयास करने के बाद भी वह वहा अपने प्रयासों में सफल नही हो सका था।

जब डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने नेहरू से कहा - आप ये ठीक नहीं कर रहे

भारत को जब आजादी मिली, तब गांधीजी के अलावा कोई सर्वमान्य नेता नही था। ऐसे में गांधी ने जवाहरलाल जेहरू को आगे बढ़ाया। मगर तब सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉ.राजेन्द्र प्रसाद जैस दिग्गज नेता भी थे, जे निर्णय क्षमता, दृढ़ता, ईमानदारी सहित अन्य मानवीय गुणों में नेहरू से इक्कीस ही थे। बंटवारे के ठीक बाद जब हिंदू, मुस्लिम और सिखों के बीच कत्लेआम मचा तो इन नेताओं में कई मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आ गए। ऐसा ही एक वाकया हुआ, जिसमें मतभेद इतना बढ़ा कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को चेतावनी देते हुए कहा आप यह ठीक नही रहे हैं मिस्टर नेहरू। किस्सा कुछ यूं है कि बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से घर–बार छोड़कर भागे हिंदुओं और सिखों को वहा के मसलमान मार–काट रहे थे। इसकी प्रतिक्रिया में भारत में भी दंगे भड़के। तब नेहरू ने प्रस्ताव रखा कि मुसलमानों के लिए दिल्ली के कुछ रिहायशी इलाके आरक्षित कर दिए जाएं। साथ ही उनकी सुरक्षा में मुस्लिम जवान और व्यवस्थाओं के लिए मुस्लिम अधि ाकारी लगाए जाएं'। किंतु राजेंद्र बाबू ने तुरंत प्रस्ताव पर गहरी आपत्ति जताते हुए नेहरू को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि –'यह प्रस्ताव अवांछित है और इसके परिणाम अनापेक्षित होंगे। ऐसा करके आप ठीक नही कर रहे है क्योकि इससे दंगे थमेंगे नही बल्कि और बढ़ेंगे। नेहरू इस पर कुपित हुए, लेकिन प्रस्ताव रद्द करना पड़ा।

जंगल सत्याग्रह और डॉ. हेडगेवार

इतिहास हमेशा दूसरे अध्याय से लिखा जाता है। पहले अध्याय के तथ्य केवल इसलिए अप्रासंगिक मानकर छोड़ दिए जाते हैं कि वे बहुत बिखरे और मामूली से प्रतीत होते हैं और इसी तरह डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वार स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी, उनकी गिरफ्तारी और पुलिस प्रताड़ना के प्रसंग केवल कुछ किताबों तक ही सीमित रह गए। डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने वर्ष 1920 से 1930 तक गॉधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और अकोला और यवतमाल जिलों में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। आंदोलन के लिए इन दोनों जिलों के जंगलों में डॉ. हेडगेवार ने पदयात्रा की, अवधारणा का विश्लेषण किया और अकोला के जंगलों से अंग्रेजों के वे टेंट–तम्बू उखाड़ फेंके जो ''फारेस्ट रेस्ट हाउस '' बनाने के लिए लगाए गए थे। डॉ. हेडगेवार ने कहा था कि वनोपज पर वनवासियों का ही अधिकार है शासन उचित मूल्य चुकाए बिना न तो भूमि पर अधिकार कर सकता है और न वनोपज ले सकता है। इन दोनों जिलों में आंदोलन इतना तेज हुआ कि अंग्रेजों को इमारती लकड़ी तक न मिली। बाद में हेडगेवार गिरफ्तार हुए और उन्हें अकोला जेल में रखा गया। दरइसल इस जंगल सत्याग्रह में सक्रियता के दौरान ही डॉ. हेडगेवार के मन में विचार आया था कि स्वतंत्रता की मानसिकता बनाना जरूरी है। भारतीय जनों को मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से सक्षम बनाना जरूरी है ताकि वे स्वतंत्रता की हिफाजत कर सकें। डॉ. हेडगेवार ने वनवासियों को संगठित करके यवतमाल के जिन जंगलों से अंग्रेजों और उनके कारिन्दों को भगाया था उस पर मात्र दस दिन में ही अंग्रेजो ने पुनः कब्जा कर लिया था। इस कार वाई में भारतीयों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। इसी बात ने डॉ. हेडगेवार को बहुत आहत किया। उनका दर्द जंगल सत्याग्रह के सिलसिले में हुई उनकी गिरफ्तारी के वक्त भी सामने आया और अदालती काईवाईके वक्त बयान में भी। जिसे सुनकर अंग्रेज जज ने कहा था –'' आपका बचाव तो आपके आन्दोलन से भी ज्यादा उद्वेलक है।'' जेल से रिहाई के तुरन्त बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संगठन की स्थापना पर विचार किया। वे वनवासियों के बीच एक ऐसा वैचारिक अभियान चलाना चाहते थे जो उन्हें सक्षम बनाए और आजादी की हिफाजत करना सिखाए। यहीकारण है कि शुरूआती दौर में राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने असहयोग आंदोलन में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया।

यह अमानवीय एवं घृणित अपराध है ।

ऑल अंडिया महिला मुस्लित पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर इस मामले को मानव अंग तस्करी जितना गंभीर मानती हैं। उन्होंने बातचीत में कहा कि जिस तरह से मानव अंगो की तस्करी घृणित एवं दंडनीय कार्य है, उसी तरह से यह भी घृणित और शर्मनाक कार्य है। जिन लोगों की काफी उम्र हो चुकी है, वे बाहर से आकर हैदराबाद और कुछ अन्य शहरों में गरीब घर के मुसलमानो को अपने जाल में फंसाते हैं। गरीब मुसलमान यह सेचता है कि उसकी लड़की का भला हो जाएगा। यह शेख बाहर से आया है मगर पैसे वाला है।' गरीबी में जिंदगी गुजार रही लड़की भी यही सोच कर उम्रदराज आदमी से निकाह करने को तैयार हो जाती है।शाईस्ता बताती हैं,'' मैने कुछ समय पहले एक स्टिंग आपरेशन कराया था जिसमें इसी तरह का एक उम्रदराज आदमी कम उम्र की लड़की से निकाह कर रह था। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई थी कि ये लोग निकाह करने के पहले ही तलाक के कागजों पर दस्तखत करा लेते हैं। इस मामले में मैंने निकाह कराने वाले काजी को जेल भी भिजवाया था।'' वे आगे कहती हैं, '' ऐसा घृणित काम करने वाले लोग एक तरह से मानव तस्करी कर रहे हैं।वे गरीब घरों की लड़कियों को निकाह का झांसा देकर साथ ले जाते है और कुछ समय उनका शोषण करने के बाद उन्हें तलाक दे देते हैं। ऐसे निकाह करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये लोग भारत में आकर ऐसा इसलिए करते है क्योंकि इन्हें मालूम है कि यहा पर मुकदमे की सुनवाई के बाद सजा होती है, जिसमें काफी वक्त लग जाता है। ये लोग किसी इस्लामी मुल्क में पकड़ लिए जाते तो इन्हें चौराहे पर सजा–ए–मौत दे दी जाती है।'' शाइस्ता अंबर ने इस बात को भी बलपूर्वक दोहराया कि जब सर्वोच्च न्यायालय तीन तलाक पर रोक लगा चुका है तो ऐसे में तीन तलाक पूरी तरह से रूक जाना चाहिए और केंन्द्र सरकार को तीन तलाक के मुद्दे पर जल्दी से जल्दी कानून बनाना चाहिए, जिससे ये काजी लोग निकाह कराने से पहले ही तलाक के कागज पर दस्तखत ना करवा पाएं। निकाह हो जाने के बाद किसी भी विवाहिता को तीन तलाक देकर नहीं छोड़ा जा सकता, उसे तलाक देने के लिए विधित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

पृष्ठ क्रं. 1 का शेष भाग

अत्यधिक जिम्मेदार है। जब तक जाति अभिमान प्रबल है, हिन्दू समाज प्रबल शक्ति के रूप में आकार नही ले सकेगा। डॉ. अम्बेडकर एक युगपुरूष थे जिन्होंने दलित समाज के कुंठाओं और कुरीतियों के बाहर आकर स्वाभिमान का जीवन जीने की प्रेरणा दी। वे जीवनभर दलितों के साथ ही नही, वरन् देश के पूरे वंचित समाज के साथ खड़े रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री रामशंकर अग्निहोत्री ने एक उपन्यास'' नया मसीहा'' लिखा जिसकी प्रस्तावना पं. अटल बिहारी बाजपेयी ने लिखी , जो आज भी प्रासंगिक है। प्रस्तावना में लिखा है,'' डॉ. अम्बेडकर की गणना स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गॉधी, तथा डॉ. हेडगेवार जैसे युग प्रवर्तक राष्ट्र पुरूषों के रूप में की जायेगी । वे एक समाज सुधारक ही नही समाजिक क्रांति के संघर्षशील अग्रदूत थे।'' आज उनका पुण्यस्मरण करते समय उनकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति का स्मरण करना आवश्यक है। उन्होंने कहा था '' हमने देशभक्ति के अभाव एवं विश्वासघात के कारण अपनी स्वतंत्रता खोयी..... हम लोग तय करें कि अपने दलगत अथवा वर्गगत हितों को देश के हितों के ऊपर नही करेंगे, नही तो हमारी स्वतंत्रता फिर से खतरे में पड़ सकती है। आज हम संकल्प करें कि अपने रक्त की अंतिम बूँद तक देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये संघर्ष करते रहेंगे।''

सोमनाथ मंदिर
प्रतीकों में संरक्षित भारत का प्राचीन ज्ञान

1500 साल पुराने सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित बाणस्तंभ के बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण छठी सदी से सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ। इस दिशादर्शक स्तंभ पर जो जानकारी दी गई है उससे पता चलता है कि भारतीयों को पृथ्वी के दोनों छोर के बारे में पूरी जानकारी थी

15 सौ वर्ष पुराने सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है – **''बाणस्तंभ''।** यह स्तंभ कबसे वहां है बताना कठिन है। इतिहास में करीब छटी शताब्दी से इस स्तंभ का जिक्र मिलता है, इसका अर्थ यह नही है कि इसका निर्माण छठी शताब्दी में हुआ है। माना जाता है कि बाणस्तंभ का निर्माण इससे सैकड़ों वर्ष पहले हुआ हुआ। दरअसल यह दिशा दर्शक स्तंभ है जिस पर समुद्र की ओर इंगित करता एक बाण है। इस पर लिखा है – ''इस बिन्दु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई अवरोध या बाधा नही है। ''मैने पहली बार इस स्तंभ के बारे में पढ़ा तो सिर चकरा गया। यह ज्ञान इतने वर्षो पहले हम भारतीयों को था। कैसे संभव है ? यदि यह सच है तो हम कितने समृद्धशाली ज्ञान की वैश्विक धरोहर संजोये है। संस्कृत में लिखी इस पंक्ति के अर्थ में अनेक गूढ़ अर्थ समाहित है। इसका सरल अर्थ यह है कि '' सोमनाथ मंदिर के इस बिन्दु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक (अंटार्टिका तक) सीधी रेखा खीची जाये, तो बीच में एक भी भुखण्ड नही आता है।''

क्या यह सच है ? आज के वैज्ञानिक युग में यह ढूँढ़ना तो संभव है, लेकिन उतना आसान नही है। गूगल मैप में ढुँढने के बाद भू–खण्ड (10 कि.मी. से बड़ा भू–खण्ड) नही दिखता। अर्थात हम पूर्ण रूप से मानकर चले कि उस संस्कृत श्लोक में सत्यता है। फिर भी मूल प्रश्न वही है कि अगर 600 ई.. में बाणस्तंभ का निर्माण हुआ तो उस जमाने में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, यह ज्ञान कहॉ से हमारे पास आया ? मान लिया कि दक्षिण ध्रुव ज्ञात भी था तो सोमनाथ मंदिर से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भू–खण्ड भी नही आता, यह मैपिन्ग किसने की ? सब कुछ अद्भुत है। इसका अर्थ है कि बाणस्तंभ के निर्माण काल में भारतीयों को इसका ज्ञान था कि पृथ्वी का उत्तर –दक्षिण ध्रुव भी है। यह कैसे संभव हुआ ? पृथ्वी का विहंगम दृश्य लेने का कौनसा साधन उपलब्ध था अथवा पृथ्वी का विकसित नक्शा बना था ? नक्शा बनाने का एक शास्त्र होता है,जिसे अंग्रेजी में 'काटोग्रॉफी' कहते है। यह मूलतः फ्रेन्च शब्द है। ईसापूर्व 6,000 से 8,000 वर्ष पूर्व गुफाओं में ग्रह –तारों के नक्शे मिले थे। परन्तु पृथ्वी का पहला नक्शा किसने बनाया, इस पर भी एक मत नही है। भारतीय ज्ञान का कोई सबूत न मिलने के कारण यह सम्मान एनेक्सिमेंडर नामक ग्रीक वैज्ञानिक को दिया जाता है। इनका कालखण्ड पूर्व 611 से 546 वर्ष था, किन्तु इनका बनाया नक्शा अत्यंत प्राथमिक अवस्था में था। उस समय जहां – जहां मनुष्यों की बसाहट का ज्ञान था, उसी हिस्से को नक्शें में दिखाया गया है। इसलिये उसमें उत्तर – दक्षिण ध्रुव दिखने का कोई कारण नही था। दुनिया का आधुनिक नक्शा 1490 में हेनरिक्स मार्टेलस ने तैयार किया था। माना जाता है कि कोलंबस और वास्को डिगामा ने इसी नक्शें के आधार पर समुद्री सफर तय किया था। पृथ्वी गोल है ' इस प्रकार का विचार युरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने व्यक्त किया था ईसा पूर्व 600 में एनेक्सिमेंडर ने पृथ्वी को सिलेंटर के रूप में माना था ई.पू. 384 से 322 में अरस्तू ने पृथ्वी को गोल माना था लेकिन भारत तक में यह ज्ञान बहुत प्राचीन समय से था, जिसके प्रमाण भी मिलते है। इसी के आधार पर आर्यभट्ट ने लगभग 500 ई. में दृढ़तापूर्वक बताया कि गोल पृथ्वी का व्यास 4967 योजन अर्थात नए मापदंडो के अनुसार 39,668 किलोमीटर है। अत्याधुनिक तकनीक की सहायता से पृथ्वी का व्यास 40,068 किलोमीटर माना गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्यभट्ट के आकलन में मात्र 0.265प्रतिशत का अंतर है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। करीब 1500 वर्ष पहले आर्यभट्ट के पास यह ज्ञान कहां से आया? 2008 में जर्मनी के विख्यात इतिहासविद् जोसेफ श्वाट्र्सबर्ग ने साबित किया कि ई.पू.दो–ढाई हजार वर्ष में भारत मे नक्शाशास्त्र अत्यंत विकसित था। उस समय नगर रचना के नक्शे के साथ नौकायन के लिए आवश्यक नक्शे भी उपलब्ध थे। भारत में नौकायन शास्त्र प्राचीन काल से विकसित था। संपूर्ण दक्षिण एशिया में जिस प्रकार से हिन्दू संस्कृति के चिन्ह पग–पग पर दिखते हैं, उससे ज्ञात होता है कि भारत के जहाज पूर्व दिशा में जावा, सुमात्रां, यवनद्वीप को पार कर जापान तक जाते थे। 1955 में गुजरात के लोथल में 2,500 वर्ष पूर्व के अवशेष मिले हैं। इसमें भारत के प्रगत नौकायन के अनेक प्रमाण मिलते हैं। सोमनाथ मंदिर के निर्माण काल में दक्षिण ध्रुव तक दिशादर्शन उस समय के भारतीयों को था, यह निश्चित है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में समुद्र में कोई अवरोध नहीं है, ऐसा बाद में खोज निकाला या दक्षिण ध्रुव से भारत के पश्चिम तट पर बिना अवरोध के सीधी रेखा जहां मिलती है, वहां पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया ?